

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग


क्रमांक:एफ 7(53)(एफसी)परि/नियम/मु./2020/6733 जयपुर, दिनांक: 29/03/2022

कार्यालय आदेश संख्या ...3...../2022

विषय:- फिजा-2018 की निरन्तरता में जारी कार्यालय आदेश 09/2021
दिनांक 04.06.2021 में संशोधन किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के स्तर पर हुई बैठक दिनांक 23.02.2022 में लिये गये निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश 9/2021 दिनांक 04.06.2021 के द्वारा फिजा 2018 में बिन्दु संख्या 2 के पश्चात् जोड़े गए निम्न उप बिन्दु 2A को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जाता है:-

“2A एक राजस्व जिले में फिटनेस जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या का निर्धारण:-प्रत्येक राजस्व जिले में 15,000 परिवहन वाहनों की जांच के पीछे एक फिटनेस सेन्टर स्थापित किया जाएगा।”



(महेन्द्र सोनी)

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक:एफ 7 (53)(एफसी)परि/नियम/मु./2020/6734-48 जयपुर, दिनांक: 29/03/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव